प्रेस नोट दिनांक 24-08-2023

(1). आज दिनाँक 24.08.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(2). आज दिनांक 24.08.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइऩ, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

(3). आज दिनाँक 24.08.023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 30 पाउच देशी शराब व 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(1). प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश द्विवेदी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री बालकिशुन थाना मऊ व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त गुड्डू रैदास पुत्र मुन्ना रैदास निवासी रामनगर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 30 पाउच देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री बालकिशुन थाना मऊ

2.आरक्षी नगेश कुमार

3.आरक्षी मो0 अदनान

(2). प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री वीर प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी सरैया उ0नि0 श्री हारून रशीद खां व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त किशोरीलाल रैदास पुत्र स्व0 रामबाबू निवासी ककरौली गढ़चपा जनपद चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब महुआ के साथ गिरफ्तार किया।अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में 60 आबकारी धिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.श्री हारुन रशीद खाँ चौकी प्रभारी सरैया

2.आरक्षी दुर्गेश कुमार

3.आरक्षी रविशंकर

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय तथा उनकी टीम द्वारा 10 अभियुक्तों को ताश - पत्ता से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे अभियुक्तों को 29500 रूपये मालफड़,17500 रूपये जामा तलाशी, 52 अदद ताश पत्ता,05 अदद मोबाइल व 05 अदद मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 13 जुआ अधिनियन का अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तों के नाम व पताः-

1. मनोज कुमार वर्मा पुत्र माताबदल वर्मा ग्राम सुरसेन थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट
2. संतोष कुमार पाण्डेय पुत्र सीताराम निवासी उन्नाय बन्ना थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट
3. पवन कुमार वर्मा पुत्र रामखेलावन निवासी पुरवा तरौंहा कोत0 कर्वी जनपद चित्रकूट
4. बसीम पुत्र रमजान निवासी बुढासेमरवार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
5. भूपेन्द्र सिंह पुत्र अनिरूद्ध सिंह निवासी रामाकोल बांधी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट
6. अवधेश प्रसाद द्विवेदी पुत्र बद्री प्रसाद निवासी गढ़वारा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट
7. सुभम द्विवेदी पुत्र आनन्दी प्रसाद निवासी गढ़वारा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट
8. शिवम द्विवेदी पुत्र कालिन्दी प्रसाद निवासी गढ़वारा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट
9. गुलाब यादव पुत्र श्रीचन्द्र निवासी जमेहली थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट
10. विनोद मिश्रा पुत्र बियोगी नारायण निवासी ग्राम खप्टिहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

1. मालफड़ 29500/- रुपये
2. जामा तलाशी 17500 रूपये
3. 52 अदद ताश पत्ता
4. 05 अदद मोबाइल फोन
5. 05 अदद मोटर साइकिल

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय
2. उ0नि0 श्री अजय बहादुर सिंह
3. आरक्षी राममूरत मिश्र
4. आरक्षी आकाश पटेल
5. आरक्षी अजीत यादव
6. आरक्षी निर्दोश नरेन्द्र भारती

(5). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 51/23 धारा 302/201 भादवि0 के वांछित अभियुक्त 1.इन्द्रेश पुत्र गया प्रसाद उर्फ गुलमन निवासी ग्राम बांधी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 2. वीरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रमई निवासी ग्राम बांधी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.05.2023 को थाना रैपुरा अन्तर्गत बहद ग्राम बांधी में प्रकाश उर्फ लाला पुत्र लल्लू रैपुरा निवासी ग्राम सिंघवल थाना कौशाम्बी जनपद कौशाम्बी उम्र करीब 24 वर्ष की हत्या कर दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 51/2023 धारा 302/201 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष रैपुरा को निर्देश दिये गये थे। थानाध्यक्ष रैपुरा द्वारा अभियुक्तगणों की

गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे। जिसके क्रम में आज दिनांक 24.08.2023 को 02 नफर वांछित अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. थानाध्यक्ष रैपुरा शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय
2. आरक्षी अजीत यादव
3. आरक्षी राजमंगल बिंद